

13-4-23 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील
उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस
सुनी गई। वकील प्राथीगण ने अपनी बहस
में निवेदन किया कि पूर्वजों से चली आ
रही पैतृक सम्पत्ति का घोषणात्मक
दावा किया हुआ है, पिता द्वारा अपने हिस्से
से अधिक भूमि का बँचान कर दिया, जो
अविध है। प्राधिकृत अधिकारी (पॉवर ऑफ
अटॉर्नी) के जाँचे (आधार पर) दावा
किया है। वाद बालुल्यता न बँदे, इस हेतु
मूल वाद के मिस्तारण तक अस्थायी निषे-
धाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। इसी क्रम
में वकील अपाथी ने अपनी बहस में
निवेदन किया कि वारिसान को अपने



पिता के जीवनकाल में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिब्बी पारित करने के पश्चात् डिब्बी का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरा मद करने के पश्चात् खातेदारों द्वारा राजी खुशी बँचान किया है। वादग्रस्त भूमि का बँचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से किया गया है, इस कारण राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है, इसलिये प्राथीगण को सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। भ्रष्टाचार निषेधाज्ञा के तमाम बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्राथीगण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। तदनुसार प्राथीगण का प्राथना-पत्र अन्याय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गाम मोरड़ी के ख.न. 194 रकबा 5 बीघा, ख.न. 254/1 रकबा 00-06-13 बीघा, ख.न. 194/1 रकबा 5 बीघा, ख.न. 194/8 रकबा 5 बीघा, ख.न. 254/5 रकबा 00-06-14 बीघा व ख.न. 254/6 रकबा 0-06-13 बीघा भूमि में प्राथीगण के एक हिस्से तक रिकॉर्ड एवं गैले की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्राथी सं. 1 लगायत 5 को मूल वाद के निस्तारण तक भ्रष्टाचार निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13-4-23 को मेरे द्वारा लिख-वाया जाकर मुझे न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



13.4.23
उपराज्य अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)